

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
 ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रवती भवन,
 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—००—

कमांक/२५७०/ ८८७ /आउशि/ समन्वय/ 2019
 प्रति,

1. कुल सचिव,
 समस्त विश्वविद्यालय,
 छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
 समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
 छत्तीसगढ़।

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९



विषय :-
 संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
 अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ १७-९५/ २०१७/ ३८-२ अटल
 नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—००—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
 छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।
 प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
 छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
 करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ. कमांक/२५७०/ ८८७ /आउशि/ समन्वय/ 2019
 प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर/
 अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
 उच्च शिक्षा संचालनालय,
 अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:मंत्रालयः

महानदी भवन, अटल नगर

जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संरथाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

-----00-----

विपर्यासात्मक संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संरथाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संरथाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(प्रविन्द्र मचेकर)


अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग। की ओर सूचनार्थ अंग्रेजित।
- गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2019-20

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहप्रियता करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय रनातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से होता है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पतल पर कम से कम रात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जा भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रभाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानान्तरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। स्थानान्तरण "ब" ने उसके स्थान (ब) में उसी वर्गके सामाजिक क्रमांक को किसी नी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

23 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विषि राकाय के अधिरिक्त अन्य राकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, सर्वाधित विश्वविद्यालय के कुलपाते की अनुमति के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन लाग जर प्रवेश को पात्रता होगी। किन्तु वायि राकाय की कक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन के आधार पर प्रवेश को पात्रता हाने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

31 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधानों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं रसायक की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रत्याव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही वह हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

32 विषि सातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौरिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्होंने निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4 प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की अईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की माफ्हर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

✓

- ३ नियमित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् रथानातरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की रीत लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- ४ धारित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर राभी छात्राओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु चिलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ५ रथानातरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (झुल्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। रथानातरण प्रमाण-पत्र सो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल रथानातरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- ६ महाविद्यालय के प्राचार्य रथानातरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से रांबधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र शैमेंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में सालेह है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रीलबन्ड लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- ७ छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।
- ८ प्रवेश की पात्रता :-
- ८.१ निवासी एवं अहंकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विद्यार्थितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोडे एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक रत्न, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र ने प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक रत्न पर प्रयग/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रत्न पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्नातक नियमित प्रवेश :-

- (क) वी.को.मै./वी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सोमेरटर एवं अर्हकारी विषय लंकर, वी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सोमेरटर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सोमेरटर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सोमेरटर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सोमेरटर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सोमेरटर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सोमेरटर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) निम्नो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.वी. प्रथम सोमेरटर एवं एल.एल.एम. प्रथम सोमेरटर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.वी. द्वितीय सोमेरटर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सोमेरटर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सोमेरटर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति /ओ.वी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को

60 MICHENCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

61 रामकक्ष परीक्षा :-

- 61 रोटरल वॉर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (री.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट वॉर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के रामकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य वॉर्ड की सूची रामबद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 62 रामायति मारता में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ पूर्णिवर्ती) के सदस्य हैं, उनकी रामरति परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के रामकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय जन्मान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस जावे सौंलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/छिग्गी देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 63 रामबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-रामय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 64 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रस्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य रामान्य विषयों की तुलना में रामतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्व्यासारकीय पत्र क्रमांक

1-52 / 2013(री.सी./एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिरूपित राष्ट्रीय उपेशन अहंता संरक्षन (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अपरसायिक शिक्षण अहंता संरक्षन (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समर्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिरूपित किया गया है कि यह 1 से 10 रस्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रस्तर 5 से रस्तर 10 तक के प्रमाण एवं उच्च शिक्षा से एवं रस्तर 1 से रस्तर 4 तक के प्रमाण पत्र रकूली शिक्षा के द्वारा से रामबद्ध हो। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसारण में कुछ रकूल वॉर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

के प्रगतिशील रूप सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव रांगाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 12 वर्ष में व्यावराग्यिक विषय थे वे अलागकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपरो अनुरोध है कि जिस रामय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस रामय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान को जाए, ताकि उन छात्रों को व्यावराग्यिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. वाहय आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर, तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से उत्तीर्णगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु समवद्ध विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय रामूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाना आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 उत्तीर्णगढ़ के वाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय, तृतीय सेमेरटर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा समवद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय रामूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावा।

राज्य के वाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी गो प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निररत करते हुए उस प्रदर्श के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्राप्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित वोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना आवश्यक हो।

- 7.3 निजान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्थायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नववर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थ द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना-अनिवार्य होगा :-

- 8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर संपीडित प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कॉर्स मात्र जाति वाले अवेदकों के --- ९ ---

- 8.3 नीचे स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीमेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या दृष्टिकोणों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 अपरोक्ष कॉडे का 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतंत्रता ही जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएँ :- ✓
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्ति/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसे आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहूं नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल रथानांतरण प्रमाण-पत्र या शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.2 जिनके विस्तृद्वयालय में वालान प्रत्यक्षता किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण वाल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व रात्रि में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ इव्वत्तीरुप सारणी बनायी आरोप हो/येतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो। ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में लोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस डेटु समिति गठित कर जॉव करवायें एवं जॉव रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शारकीय/अशारकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
- स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वय/प्रथम रोमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
 - आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु मेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटेसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
 - विधि राज्य में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (ii) सभी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातक पूर्ण प्रथम रोमाइरर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों की प्रवेश की पात्रता होगी।
- (g) विषि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वा गिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अम्बद्ध आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सावारत कमीशारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगान वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि साप्तरत लगान वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता ज्ञापनसे फ्रेमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.6 निःशक्त संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को भिन्नी अन्य संकायों के स्नातकूयकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 अपलब्ध स्थानी री अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (a) स्नातक एव स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अईकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिक देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (b) निःशक्त स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो विश्वविद्यालय द्वारा नियमित गापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारोधीत एव आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विषि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यार्थी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अईकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विषि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त कर वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील, जिलों में स्थित या आरपास के अन्य जिले के समीपरथ स्थानों पर स्थित गुणाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदक के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपनामर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपरथ स्थानों के आवेदकों के प्राथमिकता तुरते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आरपास के अन्य जिलों के समीपरथ स्थित गुणाविद्यालय में आवेदित निवास/निवास स्थान

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आगे पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु अपरीक्षल प्रावधान रथशारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किंतु एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक राब्र में प्रवेश में रीटों का आरक्षण तथा किंतु शैक्षणिक रांथा में इसका विस्तार निम्नानुसार सीधे से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत रीट अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चारह प्रतिशत रीट अनुरूपित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चाँदह प्रतिशत रीट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुरूपित जातियों से विविध प्रतिशत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्णगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क),

(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित रीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध रीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्तीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशब्द व्यक्तियों, गहिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिरूपित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन व्यवस्थित, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्थानविता समाम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। नियामक श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 रामी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पोटीशन में नियमानुसार भेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की रीटें व्यवस्था अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी रांग में जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

अब भी ही तो सर्वग की यह रीट उस आरक्षित श्रेणी मे मरी मानी जायेगी। शप सर्वग की रीट नहीं लगेगा।

- 12.6 आरक्षित स्थान के प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होता 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आमे पर आरक्षित स्थान की सख्ता एक होगी।
- 12.7 अमूल कश्मीर विरक्षयितों कथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक रीट तुद्धि कर प्रवेश दिया जाएगा। इनमें जैक मे 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय समय पर शासन हारा जारी आखण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कड़िका 12.1 मे दर्शाई गई आखण के प्राक्षान मानवीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अनुसार लड़गा।
- 12.10 दुर्लीय हिंग के व्यवितयों को मानवीय उच्चतम न्यायालय हारा इरा सावध मे प्रकरण क्रमांक छठ्युपी (री) 400 / 2012 नंशनल लोगल सर्विसोस अध्यारिटी विलड भारत सरकार एवं अन्य मे पारित नियम विनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) मे यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिकार :

अधिकार मात्र मुणानुकम गोप्तारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पान्ता प्राप्ति हेतु इसका उपयाग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताको के प्रतिशत पर ही अधिकार देय होता। अधिकार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रवेश आयेदन-पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है। अयोद्धन पत्र जाना करने के पश्चात् याद मे लाये जाने/जाना किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिकार हेतु विवार-नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिकार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिकार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./रकाउद्रा

रकाउद्रा शब्द को रकाउद्रा/गाइड्रा/रेञ्जरी/रोकर्स के अर्थ मे पढ़ जावे।

- | | |
|---|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" स्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" स्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण रकाउद्रा | 03 प्रतिशत |
| (ग) "सी" स्टिफिकेट या दुर्लीय सोपान उत्तीर्ण रकाउद्रा | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य रत्नीय संवालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
मे युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (ङ) नई दिल्ली के गणतन्त्र दिवस परेड मे छत्तीरामढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिंजोन्स मे भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (झ) राज्यालय रकाउद्रा | 05 प्रतिशत |
| (ञ) राष्ट्रप्रति रकाउद्रा | 10 प्रतिशत |
| (ञ्ञ) छत्तीरामढ़ का राष्ट्रप्रति भाग मी नेत्र | 10 प्रतिशत |

- (v) भारत एवं अन्य साष्टी के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में
भाग लेने वाले कैडेट, एनसीसी / एनएसएसा के लिए
विद्यमान एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय
लक्ष्यों के लिये विद्यानेत द्वारा वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 भारत विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को रानातकोल्प
कदम में उर्ध्वी विषय में प्रतीक्षा लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 बेलकूट, साहित्यिक/सांख्यिक/विज्ञ/रूपाळग्न प्रतियोगिताएँ :-
- (1) लोक शिक्षण सांवालनालय अथवा छल्लीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3
जिला/संघाग रत्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अतर संभाग/
रत्तर प्रतियोगिता में :-
- (a) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त दीम के प्रत्येक सदर्शक को 02 प्रतिशत
- (b) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कड़िका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संघालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय साज्ज्य रत्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा सासार्दीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित दोनों प्रतियोगिता में :-
- (a) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त दीम के प्रत्येक सदर्शक को 06 प्रतिशत
- (b) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (c) संगठन/दोनों का प्रतियोगिता करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय प्रश्नविद्यालय साध द्वारा आयोजित, सांसार्दीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (a) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (b) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अंजित करने वाली दीम के सदर्शकों को 12 प्रतिशत
- (c) दोनों का प्रतियोगिता करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य साष्टी के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्याल
एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांख्यिक/साहित्यिक/
कला क्षेत्र में विद्यमान एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छल्लीसगढ शासन, मध्य साम्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (a) छल्लीरामगढ/मध्य का प्रतियोगिता करने वाली दीम के सदर्शकों को 10 प्रतिशत
- (b) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छल्लीरामगढ की 10 प्रतिशत

- (3) अमूर कशीर के प्रियापिता तथा उनके आश्रितों को
 137 प्रियेष प्रोत्साहन :-

01 प्रतिशत

इसीसमें सभी एवं महाविद्यालय के इच्छुकों में एनरीसी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए उनसी बीमा के सार्वज्ञीय रत्न के सर्वश्रेष्ठ केंड्रों तथा ओलिम्पियाड/एशियाड/सोर्ट्स अधिकारियों और इंडिया द्वारा सार्वज्ञीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रत्न पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वर्षेर मुण्डुक्य के आगामी शिक्षा रात्रि में उन कक्षाओं में रीधे प्रवेश किया जाए जिनको उन्हें पानी है कि :

- (1) इस प्रकार के प्रगाण पर्वों को रायालक खेल एवं युवक कल्याण छल्लीसमें द्वारा अंगेप्रगाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सूचियों के बीच उन्हीं अव्याख्यियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रत्यक्ष दिया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूरारी वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 138 प्रथम वर्ष में प्रोत्स हेतु रक्त रत्न के पिछले चार कमिक रात्रि तक के प्रगाण-पत्र स्नातकोत्तर कानून या विद्ये प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विभिन्न तीन कमिक रात्रि तक के प्रगाण-पत्र अधिकार हेतु मान्य तीव्र जायेगा। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व रात्रि के प्रगाण पत्र अधिकार हेतु मान्य होंगे।

- 14 संकाय/विषय/मुफ्त परिवर्तन :-

सामान्य/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंडकारी परीक्षा के संकाय/विषय/मुफ्त पारंवर्तन कर प्रवेश वाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका मुण्डुक्य निर्धारित दिया जायेगा। अधिकार धरे हुये प्राप्तांकों पर देय होंगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक वार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/मुफ्त परिवर्तन का अनुग्रह महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कठिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुग्रह उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संवधित विषय/संकाय की मूल मुण्डुक्य संख्या में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

- 15 शोध छात्र :-

शोधार्थीय महाविद्यालयों में पी.एच.-डी. के शोध छात्रों को ये वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। वृत्तिनिवारक प्राचीनकालीन वर्षों की अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशासा पर भवाये इस सन्दर्भावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करें, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावगा। शोध छात्र के लिये संवधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्रक्रियापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही जाना जाएगा। शोध छात्र द्वारा दीपावली तिथि अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो साधारण अधिकारी द्वारा मेमिन नामिनका

ग्रन्थ प्रणाली संपर्क प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का बोत ओहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफ्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की रिस्ट्री में शोध अब ऐसी संख्या में आपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका शोध निवारण एवं निर्वापत किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवृद्ध उर्द्धवाधिकारी के प्रावार्य अयोग्यित करेंगे।

16. प्रिशेष :-

- 16.1 वीली परमाणु पर्सो, गैलत जानकारी, जानवृज्ञकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कानूनी तथा असामान्यवश विदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश के निरस्त करने का पूर्ण दायेत्र प्रावार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी रामुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिशत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्रावार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सब के दौरान कड़िका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिपा विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कारित करने का अधिकार प्रावार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सब के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की रिस्ट्री में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त समय कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक रिद्दांतों के रूपालीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्रावार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट लीप व अभिमत देते हुए रूपालीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अयोग्यित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक रिद्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का है। इन मार्गदर्शक रिद्दांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/सलमन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।